कार्यालय जिला पंचायत, कानपुर देहात

नीलाम सूचना

मछली शिकार (मत्स्य आखेट वर्ष 2017–18 (अवधि स्वीकृत दिनांक से 31.03.18 तक)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद कानपुर देहात की सीमा के अर्न्तगत बहने वाली नदियों यमुना, नोन, रिन्द, पाण्डव, सेगुर में प्रचलित उपविधिं के अनुसार मछली मारने अथवा शिकार करने हेतु वर्ष 2017–18 के ठेके की नीलामी पुनः दिनांक 31.05.2017 दिन बुधवार को समय 12:00 बजे अपरान्ह से जिला पंचायत मुख्यालय माती के सभाकक्ष में की जायेगी। नियमानुसार मल्लाहों की समितियों को प्राथमिकता दी जायेगी। इच्छुक समितियों/मल्लाह/व्यक्ति मु0 रूपया–2,00000/– (दो लाख मात्र) नकद बतौर जमानत धनराशि जमा करना होगा।नीलाम समिति को आवश्यकतानुसार जमानत धनराशि में वृद्वि करने का अधिकार होगा। शासनादेश संख्या–819/33–2–2007–100 जी0/2006 दिनांक 10 अप्रैल 2007 के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों पर चरित्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल यमुना नदी के लिए है। अन्य नदियों की नीलामी में जमानत धनराशि निर्धारित करने का अधिकार नीलाम समिति में निहित होगा। उपविधि में निर्धारित शर्तो के तहत नीलामी की जायेगी, नीलामी में भाग लेने के लिए मल्लाह को पेशेवर होने का प्रमाण–पत्र तहसील स्तर का जमा करना होगा। बकायेदार को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। शेष शर्ते एवं उपविधि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं। नीलाम सूचना जनपद की बेबसाइट www.kanpurdehat.nic.in पर देखी जा सकती है।

नोटः– उक्त नीलाम तिथि में अवशेष मत्स्य आखेट ठेकों की नीलामी कार्यालय में आगामी प्रत्येक शुक्रवार को समय 1:00 बजे से करायी जायेगी।

17/5/17
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात

पृष्ठांकन : 137/मत्स्य आखेट/जि0पं0/2017–18 दिनांक : 17 मई, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.अध्यक्ष जिला पचायत, कानपुर देहात को अवलोकनार्थ।
2..जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
3..पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात।
4.समस्त सदस्यगण, जिला पंचायत, कानपुर देहात।
5.मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कानपुर देहात।
6.समस्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी कानपुर देहात।
7. जिला मत्स्य अधिकारी कानपुर देहात ।
8. जिला पंचायत, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज एवं फर्रूखावाद को नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु।
9.सम्बन्धित ठेकेदारों को, समय से नीलामी मे भाग लेने हेतु।
10..नाजिर जिला पंचायत, कानपुर देहात को इस आशय से कि नोटिस बोर्ड में चस्पा कराने हेतु।
11. क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, एवं सहायक राजस्व निरीक्षक, को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रचार करायें।
12. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, (एन0आई0सी0) कानपुर देहात को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नीलाम सूचना जनपद के बेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

17/5/17.
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, कानपुर देहात